भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 429

19 नवम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना

429. डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

श्री गजानन कीर्तिकरः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री विनायक भाऊराव राऊतः

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः

श्री मोहनभाई कुंदरियाः

श्री हेमन्त पाटिलः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

श्री बिद्युत बरण महतोः

श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना शुरू की है जो उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक पेंशन योजना है जिनके पास सामाजिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त बचत नहीं है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम के पीछे उद्देश्य, मुख्य विशेषताएं और लक्ष्य क्या हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या पात्रता मानदंड निर्धारित किये गए हैं और इस योजना को किन राज्यों में शुरू किए जाने की संभावना है और उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उन लक्षित किसानों की संख्या कितनी है जिन्हें लाभ मिलने की संभावना है और इस योजना में नामांकित छोटे और सीमांत किसानों की गुजरात सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों द्वारा किए जाने वाले योगदान का अनुपात और केंद्र सरकार द्वारा किये जाने वाले योगदान का अनुपात क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए न्यूनतम राशि जमा करने का कोई प्रावधान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने पेंशन फंड मैनेजर की पहचान की है जो किसानों को पेंशन भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) सरकार द्वारा इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ज) इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा आबंटित/जारी की गयी निधि का गुजरात सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(झ) इस योजना के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने और इसके सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क): जी हां। सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) शुरू की है जिसका उद्देश्य उन्हें सामाजिक सुरक्षा नेट मुहैया कराना है तथा उनके पास वृद्धावस्था में मामूली या शून्य बचत होने और आजीविका के साधन समाप्त हो जाने की स्थिति में उन्हें सहयोग प्रदान करना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को कतिपय अपवर्जन के अध्यधीन 3000/- रु. मासिक की न्यूनतम निश्चित पेंशन का भुगतान करने की व्यवस्था है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष है। लाभार्थी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा प्रबंधित पेंशन निधि में अंशदान देकर योजना का सदस्य बनने का विकल्प चुन सकते हैं। लाभार्थी को योजना में प्रवेश आयु के अनुसार पेंशन निधि में 55/-रू. से 200/-रू. के बीच मासिक योगदान करना अपेक्षित है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा समान योगदान देने का प्रावधान है। योजना को ऐच्छिक अथवा योगदान के विफल होने पर अथवा मृत्यु पर छोड़ा जा सकता है। योजना छोड़ने पर लाभार्थी को उनका संचयी अंश प्राप्त होगा और सरकार का अंशदान एलआईसी निधि में जमा किया जाएगा। अंशदाता की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी/पति अथवा उनके उत्तराधिकारी को फेमली पेंशन के रूप में पेंशन का 50 प्रतिशत प्राप्त करने का हकदार होगा। वशर्ते कि, वह पहले से योजना का एसएमएस लाभार्थी न हो। योगदान की अवधि के दौरान अंशदाता के मृत्यु पर पति/पत्नी के पास नियमित योगदान अदा करते हुए योजना को जारी रखने का विकल्प होगा।

(ख): देश में सभी छोटे और सीमांत किसानों जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है और जो कतिपय अपवर्जन मानदंडों की परिधि में नहीं आते हैं, वे इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(ग): योजना का लक्ष्य लगभग 3 करोड़ लाभार्थियों को कवर करना है। दिनांक 14.11.2019 तक योजना के तहत गुजरात के 61,496 किसानों सहित देश में 18,29,469 किसानों को पंजीकृत किया गया है। राज्यवार विवरण **अनुबंध** पर है।

(घ) और (ड.): योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों तथा केंद्र सरकार के द्वारा किए गए योगदान का अनुपात 1:1 है। योजना के तहत सरकार का योगदान किसानों द्वारा किए गए मासिक योगदान के समतुल्य है जो प्रवेश आयु के अनुसार 55/- रू. से 200/- रू. के बीच हो सकता है।

(च): जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) योजना के लिए पेंशन निधि प्रबंधक है।

(छ): पीएम-केएमवाई योजना का लक्ष्य लगभग 3 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को कवर करना है।

(ज): वर्ष 2019-20 के लिए 900 करोड़ रू. का बजटीय प्रावधान किया गया है। योजना के तहत निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं है।

(झ): इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के अलावा सोशल मीडिया से भी योजना का व्यापक प्रचार किया गया है। कार्यान्वयक एजेंसियां, राज्य/संघ राज्य सरकारों तथा सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) ने भी अपने-अपने संसाधनों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया है। सीएससी के ग्राम स्तर उद्यमियों (वीएलई) जो फील्ड स्तर के कार्यकर्त्ता होते हैं, को योजना के तहत किसानों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किया गया है।

अनुबंध

पीएम-केएमवाई के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकरण के आंकड़े

राज्य	पंजीकरण
हरियाणा	400604
झारखंड	241971
बिहार	240854
उत्तर प्रदेश	238248
छत्तीसगढ़	198344
ओडिशा	136319
तमिलनाडु	94519
महाराष्ट्र	72556
गुजरात	61458
मध्य प्रदेश	51727
आंध्र प्रदेश	30077
कर्नाटक	29815
राजस्थान	27934
पंजाब	11559
तेलंगाना	7267
असम	5014
हिमाचल प्रदेश	2345
अरूणाचल प्रदेश	2043
पश्चिम बंगाल	1894
उत्तराखंड	1562
केरल	751
नागालैंड	704
चंडीगढ़	528
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	519
जम्मू एवं कश्मीर	435
त्रिपुरा	386
दादर व नगर हवेली	159
गोवा	136
दमन व दीव	118
मणिपुर	117
दिल्ली	89
पुदुचेरी	87
मिजोरम	84
लक्षद्वीप	71
मेघालय	26
सिक्किम	23
कुल	**1829469**